आंतरिक समिति मद्रे क्षेत्रीय कार्यालय

Internal Committee- Madurai Regional Office

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार गठित आंतरिक समिति का विवरण निम्नन्सार है-

The Details of Internal Committee Constituted as per The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013, are as under-

नाम/ नाव/ Name	पदनाम/ पदनाव/ Designation	ई-मेल आई डी/ ई-मेल आई डी / E-Mail Id	संपर्क सूत्र/ संपर्क क्रमांक/ Contact	नामांकन की तारीख/ नामनिर्देशन तारीख/ Date of Nomination
श्रीमती स्वर्णलता सिवसामी Smt.Swarnalatha Sivasamy	पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer	sswarna.latha@newindia.co.in	0452-26058 57	24/08/2023
श्री वासुकि बासकरन Mrs.Vasuki Baskaran	सदस्य/ Member	vasuki.baskaran@newindia.co.in	0452-26058 55	24/08/2023
श्रीमती P S लक्षमी Mrs. P.S.Lakshmi	सदस्य/ Member	ps.lakshmi@newindia.co.in	0452- 2530870	24/08/2023
श्री M रियाज़ Mr. M.Riyaz	सदस्य/ Member	riyaz.m@newindia.co.in	452-260585 7	24/08/2023
Ms.S.Selvagomathi	बाहरी सदस्य/ External Member	Ssgomathi71@gmail.com	9843460061	24/08/2023

अधिकारक्षेत्र – मद्रै एवं इसके अधीनस्त कार्यालय से संबंधित शिकायते उपरोक्त समिति के अधिकार क्षेत्र में होंगी।

शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न से संबंधित अपनी शिकायत लिखित रूप मे उपरोक्त समिति अथवा poshcomplaints@newindia.co.in ई-मेल पते पर भेज सकते है।

Jurisdiction- Complaints pertaining to Madurai Regional Office and Offices under its control shall be dealt by the above Internal Committee.

Complainant is required to make a complaint of sexual harassment in writing to the Internal Committee or through e-mail at <u>poshcomplaints@newindia.co.in</u>.

दिनांक/तारीख/Date:

आदेशान्सार / By Order

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक THE CHIEF REGIONAL MANAGER

स्चना/ स्चना/ NOTICE

कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन एक दण्डनीय अपराध है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दंडनीय है।

ऐसे कृत्य में दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

Sexual Harassment at Workplace is a criminal offence attracting penalty as per Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013.

Further such act may also invite initiation of disciplinary proceedings under The New India Assurance Company Ltd. (Conduct Discipline & Appeal) Rules, 2014.

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक THE CHIEF REGIONAL MANAGER